

15/5/25

अधिवक्ता अपीलान्त अनु। अपीलान्त  
अनु। प्रकरण 2015 से विवादाधीन है। प्रकरण  
में अधिवक्ता अपीलान्त का रेस्पों. सं. 1 एवं  
2 की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर देने  
के बावजूद उनके द्वारा रेस्पों. संख्या 1 व  
2 की तलबी हेतु पी. एफ. समान भर उर  
प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त अपीलान्त  
या उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आज न्यायालय  
में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं किये। न्यायालय  
की ओर से अधिवक्ता अपीलान्त एवं अपीलान्त  
को बार-बार आवाजें लगाई गई लेकिन  
पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आये। लिहाजा  
अपील अपीलान्त की अदम्य हजरी, अदम्य  
पैरवी एवं अदम्य तकनीक में रवाराज की  
जाती है। पत्रावली फेब्रुअरी शुमार होउर  
नम्बर से कम होउर दारिखत दफ्तर  
हो।

